कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0,
चतुर्थ तल,किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर,लखनऊ–226010

पत्रांकः कृ0वि0कृ0वि0व्या0नि0 / /चावल निर्या0 / 2018–19, दिनांक 12 **फरवरी,2019**

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–70 / 2017 / 640 / अस्सी–2–2017–2(12) / 2000 दिनांक 28.12.2017 द्वारा जारी " उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–2022)" के अन्तर्गत इन्डायरेक्ट चावल निर्यातकों के पंजीकरण के सम्बंध में शासनादेश संख्या–4 / 2018 / 142 / अस्सी–2–2018–02(12) / 2000 दिनांक 21.05.2018 के अनुपालन में इस निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाइट **www.upkrishivipran.in** पर इन्डायरेक्ट चावल निर्यातकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।

उपरोक्त सम्बंध में कार्यालय ज्ञाप पत्रांकः कृ0वि0कृ0वि0व्या0नि0 / 72 /चावल निर्या0 / 2018–19, दिनांक 26 अक्टूबर,2018 द्वारा इस योजना से सम्बन्धित समस्त हितधारकों को वेबसाइट पर आटो जनरेट पंजीयन की सत्यता ज्ञात करने हेतु सूचित किया गया है। कतिपय इन्डायरेक्ट निर्यातकों द्वारा इसके बाद भी ऑटो जनरेट पंजीयन प्रपत्र की सत्यता के सम्बंध में कतिपय मण्डी सचिवों द्वारा प्रश्न उठाये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने के फलस्वरुप विभागीय वेबसाइट पर आटो जनरेट इन्डायरेक्ट चावल निर्यातकों के ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र में निम्न दो बदलाव करते हुए नये प्रारुप में ऑनलाइन पंजीयन जनरेट होना सुनिश्चित किया गया है :–

1– पूर्व प्रारुप के अन्त में अंकित लाइन के नीचे निम्न लाइन को क्रमांक –2 के रुप में जोड़ दिया गया है।

2–इस पंजीयन की प्रमाणिकता वेबसाइट www.upkrishivipran.in पर उपलब्ध "पंजीकृत इन्डायरेक्ट चावल निर्यातक विवरण" से सत्यापित की जा सकती है।

2– ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र में Watermark द्वारा विभागीय वेबसाइट का नाम www.upkrishivipran.in अंकित करा दिया गया है।

अतएव इस योजना से सम्बन्धित समस्त हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वह विभागीय वेबसाइट पर नये प्रारुप में ऑनलाइन जनरेट पंजीयन प्रपत्र से अवगत होते हुए प्रपत्र में अंकित विधि अनुसार प्रपत्र की प्रमाणिकता सत्यापित कर लें।

/

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक, कृषि विपणन

पृष्ठांकन संख्याः कृ0वि0कृ0वि0व्या0नि0 / 125 /चावल निर्या0 / 2018–19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2, सचिवालय,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
2– निदेशक , राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त उप निदेशक(प्रशा0 / विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 (द्वारा–मैसेज बाक्स मण्डी परिषद)।
4– समस्त सभापति / सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उ0प्र0(द्वारा–मैसेज बाक्स मण्डी परिषद)।
5– श्री बी0एन0 शुक्ल, डाइरेक्टर, उ0प्र0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, 128, क्लाइड हाउस, तृतीय तल(हीर पैलेस सिनेमा के सामने), माल रोड, कानपुर–208004,।
6– अध्यक्ष, यू0पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, हेड आफिस 2 / 10, कलेक्टरगंज (शक्कर पट्टी), कानपुर।
7– समस्त सहायक कृषि विपणन अधिकारी उ0प्र0 एवं सहायक विपणन अधिकारी लखनऊ।
8– विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकृत समस्त इन्डायरेक्ट चावल निर्यातक को उनके सूचित ई–मेल के द्वारा।
9– सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद,लखनऊ को सम्बंधित के मैसेज बाक्स में अपलोड करने हेतु।
10– विपणन परिज्ञान अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11–गार्ड–पत्रावली में अनुरक्षणार्थ।

11/2/19
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक, कृषि विपणन